कार्यालय जिला प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
विकास निगम बिलासपुर, जिला बिलासपुर

दूरभाषः 01978 222225, 96256 87881, इमेल dmhpscstdcblp7@gmail.com

संख्याःएस0सी0डी0सी0 / 2025– 122

दिनांक 22-05-2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
Govt. P. G. College, Bilaspur
Teh. Sadar Distt. Bilaspur (H.P.)

विषयः– अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने बारे।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन है, कि निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से **अनूसूचित जाति** के बच्चों के लिये मु0 5,00,000 / – लाख रूपये तक के शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है, इस योजना के अर्न्तगत यह ऋण उन्ही छात्रों / छात्राओं को दिये जायेंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों में 3,00,000 / –लाख रूपये से कम हो को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है, तथा महिला छात्राओं को ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट दी जाती है। **अनुसूचित जनजाति** के बच्चों के लिये मु0 5,00,000 / – लाख रूपये तक के शिक्षा ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाए जाते है। इस योजना के अर्न्तगत यह ऋण उन्ही छात्रों / छात्राओं को दिये जायेंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों में 3,00,000 / –रूपये से कम हो आवेदक को ऋण राशि के विरूद्व कर्मचारियों की जमानत अथवा ऋण राशि के बराबर मूल्य की जमीन रहन करवानी होती है।

अतः आपसे निवेदन है, आपके कॉलेज में ऐसे विद्यार्थी जिनका परिवार प्रोफेशनल शिक्षा करवाने में असमर्थ है तथा कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे है, वो निगम से ऋण प्राप्त कर सकते है। अतः आपके द्वारा निगम की इस स्कीम को अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के बच्चों को बताया जाये / **कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर इसकी एक छाया प्रति लगवाई जाये।** अगर कॉलेज चाहे तो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया जा सकता है। किसी भी कार्य दिवस पर ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भारत सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ ले सके।

Upload on website

Principal
26/05/25
DA Commerce
Dr. Ramesh

भवदीया

जिला प्रबन्धक

जिला प्रबन्धक
हि0प्र0 अनु0 जाति एवं अनु0
जनजाति विकास निगम बिलासपुर